

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा
अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 12- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव चले स्वीकार करने या
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन
संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा
की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)

Recommended for Approval

सुरेश चन्द
मुख्य वन संरक्षक/मोहरन अधिकारी,
वन विभाग, जिला
जयपुर, राजस्थान

हस्ताक्षर.....
नाम.....
सरकारी मोहर

दिनांक :-
स्थान :-